GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *8
TO BE ANSWERED ON 03.02.2025

Mines opening permission module through the SWCS portal

***8. DR. DINESH SHARMA:**

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the plan of Government to effectively implement the Single Window Clearance System (SWCS) portal; and
(b) the steps being taken to accelerate coal production through the digital transformation of mining approval processes?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL & MINES
(SHRI SATISH CHANDRA DUBEY)

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the House.

****

Statement referred to in reply to part (a) & (b) of Rajya Sabha Starred Question No. *8 for answer on 03.02.2025 asked by Dr. Dinesh Sharma regarding "Mines opening permission module through the SWCS portal":

(a) Ministry of Coal has launched the Single Window Clearance System (SWCS) portal to streamline and expedite the approval process for coal mining projects. As part of this initiative, the approvals issued by the Ministry of Coal, including the '*Mining Plan'* and '*Mine Opening Permission*' have been fully digitized for end-to-end online processing.

Additionally, integration with Parivesh 1.0 portal of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC) was successfully completed for obtaining Environmental Clearance (EC), Forest Clearance (FC), and Wildlife Clearance (WL). Following the portal's upgradation to Parivesh 2.0, the integration with SWCS has been finalized and the same is being implemented.

The SWCS portal will facilitate the processing of various other clearances required from Central and State Authorities for early operationalization of coal blocks.

(b) To accelerate coal production, the Ministry of Coal is monitoring production monthly and addressing issues with relevant authorities. As part of its digital transformation, the Ministry has fully digitized it's approval processes for the '*Mining Plan'* and '*Mine Opening Permission*' which are being issued by the Ministry of Coal. This digital approach significantly reduces delays and enhances coordination among stakeholders, thereby speeding up coal production.

****

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *08

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल के माध्यम से खदान खोलने की अनुमति संबंधी मॉड्यूल

***8. डा. दिनेश शर्मा:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ख) खनन अनुमोदन प्रक्रियाओं के डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए कल्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल के माध्यम से खदान खोलने की अनुमति संबंधी मॉड्यूल" के संबंध में डा. दिनेश शर्मा द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *8 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल के भाग के रूप में, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमोदनों को शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए 'खनन योजना' और 'खान खोलने की अनुमति' का पूर्णत: डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), और वन्यजीव मंजूरी (डब्ल्यूएल) प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के परिवेश 1.0 पोर्टल के साथ एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। पोर्टल के परिवेश 2.0 में उन्नयन के बाद, एसडब्ल्यूसीएस के साथ एकीकरण को अंतिम रूप दिया गया है और इसे लागू किया जा रहा है।

एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल कोयला ब्लॉकों के शीघ्र प्रचालन के लिए केंद्र और राज्य प्राधिकरणों से अपेक्षित विभिन्न अन्य मंजूरियों की प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

(ख) : कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए, कोयला मंत्रालय मासिक उत्पादन की निगरानी कर रहा है और संबंधित प्राधिकरणों के साथ मुद्दों का समाधान कर रहा है। अपने डिजिटल परिवर्तन के भाग के रूप में, मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही *'खनन योजना' और 'खान खोलने की अनुमति'* के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। यह डिजिटल दृष्टिकोण विलंब को काफी कम करता है और स्टेकहोल्डरों के बीच समन्वय बढ़ाता है, जिससे कोयला उत्पादन में तेजी आती है।

****

डा. दिनेश शर्मा: धन्यवाद सभापति महोदय, मैं मंत्रालय को और खास तौर से माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने सरलीकरण प्रक्रियाओं में और कार्य पद्धति में काफी अच्छी पारदर्शिता रखी है। मेरी मंत्री से अपेक्षा है कि SWCS के माध्यम से खनन योजना अनुमोदनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री सतीश चंद्र दूबे: सभापति महोदय, Single Window Clearance System का उद्देश्य यह होता है कि एक समय पर ही उस पोर्टल पर एप्लाई कर देना। उसमें जो तरह-तरह की क्लियरेंस होती हैं, वे क्लियरेंस उसको समय-समय पर कम समय में मिल सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसमें स्टेट गवर्मेंट से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, विभिन्न मंत्रालयों से भी लेनी पड़ती है। एक बार, जब एप्लाई कर दिया जाता है, तो समय-समय पर क्लियरेंस मिलती हैं और अन्य प्रक्रियाएं भी समय-समय पर आगे बढ़ती रहती हैं।

MR. CHAIRMAN: Dr. Dinesh Sharma; second supplementary.

डा. दिनेश शर्मा: महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न है। SWCS में परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली, जिसे आप PIMS कहते हैं, उस Module की क्या भूमिका है?

कोयला मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): आदरणीय अध्यक्ष जी, Project Information Management System, PIMS Modules को coal blocks allottees की अपने projects से जुड़ी जानकारी सब्मिट करना, request को, status को track करना, production and dispatch data को upload करना, clearances monitoring करने की सुविधा मिलती रहना - यह transparency बढ़ाते हुए इस Single Window Clearance System को एक transparency-basis 'auctioning of coal blocks' में किया गया है। इसके अलावा Coal Ministry transparency-basis production and supply of coal कर रही है। Transparency basis पर 'SHAKTI Policy, 2017' में, जो भारत सरकार ने लागू की है, हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं। हम coal production, power generation के लिए और steel generation के लिए लगातार auction basis पर कोल ब्लॉक्स एलॉट करते हैं। सर, हम regulated और non-regulated sectors को भी coal supply, auction के द्वारा देते हैं। इस Project Information Management System Module को सभी सैक्टर्स में उपयोग करते हुए proper transparency बढ़ाते हुए Ministry को allottee और direct communication की आसानी देने के लिए हम समय-समय पर काम करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Satisfied, Dineshji?

डा. दिनेश शर्मा : जी।

MR. CHAIRMAN: Because you raised a very important issue.

डा. दिनेश शर्मा: महोदय, मैंने इस सिस्टम को बहुत बारीकी से देखा है और मुझे लगता है कि मंत्रालय ने इस पर काफी अच्छा काम किया है।

MR. CHAIRMAN: I think the Minister can be congratulated because this Single Window System is amazing; and mines are our natural wealth. But I will make one appeal to the hon. Minister. Please take some initiative by way of policy decision that we don't export our raw materials. If we export our raw materials, the person having command over the raw material gains, but the nation loses. We must insist on value addition. That will generate employment and that would also promote entrepreneurship. You can go to some ports -- I have been to one – and find raw materials leaving our shores. That is an indication and a challenge. Can we not add value to that? We can. I am sure you would take the initiative. You look much younger than your age also. Please go ahead, hon. Minister.

श्री जी. किशन रेड्डी: सभापति जी, 2014 में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद भारत सरकार द्वारा अलग-अलग initiatives लिए गए, नए-नए reforms किए गए। पहले तो कोल ब्लॉक्स, माइन्स में अलॉटमेंट पेपर के ऊपर होता था। कुछ लोग पेपर लिखकर देते थे, तो ब्लॉक्स अलॉट होते थे। आपको मालूम है कि कोल स्कैंडल के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में जजमेंट आया। आज 2015 में एक नई पॉलिसी लाने के बाद ऐसा एक ब्लॉक भी हमने ऑक्शन के बिना अलॉट नहीं किया है, even पब्लिक सेक्टर को भी 2020 के बाद ऑक्शन के माध्यम से coal block दिया जाता है। भारत सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। कोल प्रोडक्शन, माइनिंग एक्टिविटी और मिनरल्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अब भारत से एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि critical minerals में इम्पोर्ट लाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। लास्ट बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा लगभग 24 क्रिटिकल मिनरल्स को इम्पोर्ट फ्री ड्यूटी में लाया गया है। इस बजट में भी लगभग 12 क्रिटिकल मिनरल्स को विदेश से भारत में लाने के लिए ड्यूटी-फ्री किया गया है। हम भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ-साथ विदेश में जाकर माइनिंग कर रहे हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पीएसयूज़ हों – विदेश में जाकर माइनिंग करके उन क्रिटिकल मिनरल्स को भारत लाने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है। इन पांच वर्षों में self-sufficient बनने के लिए कोल सेक्टर में और coking coal में, हम पूरा काम करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 9, Shri Golla Baburao; not present. Any supplementaries?

** Q. No. 9. [The questioner was absent.]*